

संख्या: पीसीएच-एचए(1)5/2008-दिशा निर्देश - 5045-5137  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

1. सागरत जिला पंचायत अधिकारी  
हिमाचल प्रदेश।
2. सागरत खण्ड विकास अधिकारी  
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-09

दिनांक 18/04/2021

विषय:-

पंचायत के कार्यों में, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति व अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोकने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र सं० पीसीएच-एचए(15)7/98-दिनांक 4.05.2006 व पीसीएच-एचए(1)5/2008-दिशा निर्देश दिनांक 19.07.2017 कि ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है व आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी कृत दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी जाएं कि पंचायत के कार्यों में महिला पदाधिकारियों के पति या पुरुष रिश्तेदारों को पंचायत के कार्यों में हस्त करने से रोका जाए तथा उन्हें पंचायत की बैठकों, खण्ड विकास कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों/ बैठकों में सम्मिलित न किया जाए।

P. H. Secretary  
to all Panchayats for strictly  
Compliance.

  
19/2/21

अतिरिक्त

(केवल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक  
पंचायती राज विभाग  
हिमाचल प्रदेश।